मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

क्रमांक एफ–58–01/2009/तीन/1273 भोपाल, दिनांक 17/11/2009

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषयः–नगरीय निकायों के आम निर्वाचन –2009 हेतु शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध के संबंध में ।
संदर्भः–आयोग का ज्ञापन क्रमांक एफ 53–5/99/तीन/2011 दिनांक 18/12/1999

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन –2009 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक 10/11/2009 को जारी किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति संलग्न है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदान दिनाँक 11/12/2009 एवं दिनांक 14/12/2009 तथा मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15/12/2009 एवं 17/12/2009 को होगी । अतः आयोग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 18/12/1999 के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें :–

(i) नगरीय निकायों के आम निर्वाचन – 2009 हेतु (अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में) संलग्न परिशिष्ट–एक के अनुसार संबंधित नगरीय क्षेत्रों में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे हुए सभी वार्डो में;

शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से बंद रखी जाए, तथा इस अवधि में शराब का क्रय–विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाए ।

2/ उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में कृपया शीघ्र आदेश प्रसारित कर उसकी एक प्रति आयोग को भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(अनुपम राजन)
सचिव
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष क्रमांक–0755–2555527

पृ0क्र0एफ–58–01/2009/तीन/1274 भोपाल, दिनांक 17/11/2009

प्रतिलिपि :–

1. आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ।
2. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) जिला–समस्त (म0प्र0) ।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला–समस्त (म0प्र0)

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

58.2